

प्रेसनोट दिनांक 16.02.2021

1. दिनांक 15.02.21 को वादी श्री बलवीर पुत्र सीताराम नि० निषादनगर रेतिया थाना कैण्ट अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि वाहन संख्या अज्ञात अज्ञात वाहन चालक द्वारा तेजगति व लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर वादी के भाई को टक्कर मार देना जिनकी इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाते समय रास्ते में मृत्यु हो जाना तथा वाहन क्षतिग्रस्त हो जाना। जिसके संबंध में थाना को०अयोध्या में मु०अ०सं० 69/21 धारा 279, 304ए, 427 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
2. दिनांक 15.02.21 को वादी श्री देशदीपक लेखपाल क्षेत्र जैता तहसील सदर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि गुरु सहाय त्रिपाठी पुत्र कुंज बिहारी त्रिपाठी नि० जैता थाना गोसाइगंज अयोध्या अभि० द्वारा चकमार्ग परें पक्की दीवाल बना लेना जिसके संबंध में थाना गोसाइगंज में मु०अ०सं० 50/21 धारा 3 लोक सम्पत्ति क्षति निवारण अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।
3. दिनांक 15.02.21 को वादी श्री भवानी प्रसाद सिंह पुत्र स्व मृत्युंजय सिंह नि० भरथू थाना रौनाही अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि राजू पुत्र राम दुलारे नि० भदवा देवरा कोट थाना रौनाही अयोध्या आदि 02 नफर अभि०गण द्वारा गाली व जान माल की धमकी देते हुए मारना पीटना। जिसके संबंध में थाना रौनाही में मु०अ०सं० 71/21 धारा 323, 504, 506 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
4. दिनांक 15.02.21 को वादी श्री नीरज सिंह प्रभारी निरीक्षक कुमारगंज अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि 1. अनिल यादव पुत्र बाबूलाल यादव नि० निधऊ का पुरवा थाना कूडेभार, सुलतानपुर 2.संदीप सिंह उर्फ दीपक पुत्र स्व० दुर्गविजय सिंह नि०पिठला थाना कुमारगंज 3.कमलेश कुमार यादव पुत्र ब्रम्हादीन यादव नि० मंगारी खजुरहट थाना को०बीकापुर 4.सतेन्द्र उपाध्याय पुत्र विजय राज उपाध्याय नि० तिन्दौली थाना कुमारगंज अयोध्या 5.भोला सिंह पुत्र दुखहरन सिंह नि० रघवापुर इरूल थाना कूडेभार सुलतानपुर 6.मोनू सिंह पुत्र विजेन्द्र सिंह नि० रौहारी थाना हैदरगंज 7.दीपक यादव पुत्र राम सँवारे निवासी थरिया उमरावां थाना भीटी, अम्बेडकरनगर 8.अमित कुमार सिंह पुत्र इन्द्रपाल सिंह नि० हन्ना हरौना थाना कूडेभार जनपद सुलतानपुर सभी पूर्व से जेल में अभि०गण द्वारा एक संगठित गिरोह बनाकर अपने साथियों के आर्थिक व भौतिक लाभ हेतु लूट, डकैती जैसे जघन्य अपराध कारित करना। जिसके संबंध में थाना कुमारगंज में मु०अ०सं० 48/21 धारा 3(1) यूपी गैंगेस्टर एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।
5. दिनांक 15.02.21 को वादी श्री रामशरण पुत्र खदेरू नि० नगौली थाना खण्डासा अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि रामप्रताप पुत्र हितलाल नि० नगौली थाना खण्डासा अयोध्या आदि 02 नफर अभि०गण द्वारा वादी को जानमाल की धमकी देते हुए मारना पीटना जिसके संबंध में थाना खण्डासा में मु०अ०सं० 22/21 धारा 323, 504, 506 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
6. दिनांक 15.02.21 को वादी मो० अहद पुत्र मो० हबीब नि० गौरियामऊ थाना को०रुदौली अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि वकील पुत्र मो० हबीब नि० दर्जी का पुरवा गौरिया मऊ थाना को०रुदौली आदि 02 नफर अभि०गण द्वारा भेलेख सीमाकन में गडे खूटा उखाड कर फेक देना तथा गाली व जानमाल की धमकी देना जिसके संबंध में थाना को०रुदौली में मु०अ०सं० 67/21 धारा 434, 504, 506 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
7. दिनांक 15.02.21 को वादी श्री शिव चरन पुत्र ध्रुवचन्द्र नि० बडनपुर सुजागंज थाना को०रुदौली अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि अमित कुमार पुत्र राज प्रसाद नि० कायमपुर थाना टिकैतनगर बाराबंकी आदि 02 नफर अभि०गण द्वारा गाली व जान मला की धमकी देते हुए मारना पीटना। जिसके संबंध में थाना को०रुदौली में मु०अ०सं० 69/21 धारा 323, 504, 506 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
8. दिनांक 15.02.21 को वादी श्री नितिन कुमार शर्मा पुत्र राजकिशोर नि० पारा पहाडपुर थाना मवई अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि दरगाही लाल पुत्र रामचरण नि० पारा पहाडपुर थाना मवई अयोध्या आदि 03 नफर अभि०गण द्वारा गाली व जानमाल की धमकी देते हुए वादी को मारना पीटना जिसके संबंध में थाना मवई में मु०अ०सं० 37/21 धारा 323, 504, 506 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।